



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222191
CG-DL-E-01102020-222191

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942

No. 284]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2020
सं. 23 / (2015–2020)

विषय:— ईईपीसी के एमएसएमई निर्यातकों द्वारा निर्यात समता मूल्य पर इस्पात की घरेलू खरीद के अंतर्गत एआरओ प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त विवरण देने के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/302/एम 20/पीसी-4.—यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया पुस्तक में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 के अंतर्गत पैरा 4.32 (क) (iv) के बाद निम्नलिखित उप पैरा 4.32(क) (v) को जोड़ा जाता है।

(v) ईईपीसी के एमएसएमई निर्यातकों द्वारा निर्यात समता मूल्य पर इस्पात की घरेलू खरीद हेतु, (समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 24.06.2020 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित दिनांक 27.05.2020 के इस्पात मंत्रालय के का. ज्ञा. सं. दिनांक 21016/3/2020—व्यापार-कर-भाग (1) के अनुसार), घरेलू इस्पात विनिर्माता के सेवा केन्द्रों/वितरकों/विक्रेताओं स्टोकयार्डों जहां से इस्पात की खरीद की जा रही है

का विवरण, जो ईईपीसी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित भी हो, प्रस्तुत किया जाएगा और इसे जारी करते समय क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एआरओ पर इसका पृष्ठांकन किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: दिनांक 24.06.2020 के का० ज्ञा० के साथ पठित का० ज्ञा० सं०—21016/3/2020 व्यापार कर भाग—(1) दिनांक 27.05.2020 के अनुसार स्कीम को लागू करने के लिए ईईपीसी के एमएसएमई निर्यातकों द्वारा निर्यात समता मूल्य पर इस्पात की घरेलू खरीद हेतु एआरओ में घरेलू इस्पात विनिर्माता के सेवा केन्द्र/वितरक/विक्रेता/स्टाकयार्ड संबंधी अतिरिक्त विवरण दिया जाएगा।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE,)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st October, 2020

No.: 23/2015-2020

Subject: Additional details to obtain AROs under domestic procurement of steel at export parity price by MSME exporters of EEPC - regarding.

F. No. 01/94/180/302/AM20/PC-4.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.04 of the Handbook of Procedures (2015-20) as amended, Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the said Handbook of Procedures, with immediate effect:

After Para 4.32 (a) (iv) under Chapter 4 of the Handbook of Procedures, the following sub para 4.32 (a) (v) is added:

(v) For domestic procurement of steel at export parity price by MSME exporters of EEPC,(as per Ministry of Steel O.M. No. S-21016/3/2020-TRADE-TAX-Part (1) dated 27.5.2020 read with OM dated 24.06.2020 as amended from time to time), the details of Service Centre/Distributor/Dealer/Stockyard of the domestic steel producer from where the steel is being procured , duly countersigned by EEPC, shall also be provided and the same shall be endorsed on the ARO by the Regional Authority at the time of issue.

Effect of the Public Notice: AROs for domestic procurement of steel at export parity price by MSME exporters of EEPC to contain additional details regarding Service Center/Distributor/Dealer/Stockyard of domestic steel producer in order to administer the Scheme notified as per O.M. S-21016/3/2020-TRADE-TAX-Part (1) dated 27.5.2020 read with OM dated 24.06.2020.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.